



Neutral Citation Number- 2026:AHC:36449

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या - 5636/2026

राजेश्वरी और अन्य

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: कृपा शंकर यादव, नेहा रानी, पवन कुमार यादव,  
रमेश चंद्र, सत्यवेंद्र सिंह यादव

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

**न्याय कक्ष संख्या-6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया**

- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मौजूदा याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज करने की प्रार्थना की है, और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-34 के तहत उचित आवेदन देने की स्वतंत्रता दी है।
- इस प्रार्थना का विद्वान स्थाई अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. तदनुसार, वर्तमान याचिका प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता के साथ वापस लेते हुए खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति ,प्रकाश पाडिया)

18 फरवरी, 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”